संख्या: 60/2017/3218/12-2-2017-60(6)/2017 टीसी-11

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
   वित्त/संस्थागत वित्त/सहकारिता/आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स/राजस्व विभाग,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक आफ बडौदा, बडौदा हाऊस,
   विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 02 सितम्बर, 2017

विषय: फसल ऋण मोचन योजना के क्रियान्वयन हेतु द्वितीय चरण की समय-सारणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रदेश के अर्ह लघु एवं सीमान्त कृषकों के फसल ऋण मोचन योजना के क्रियान्वयन हेतु द्वितीय चरण की कार्यवाही सम्पादित किए जाने के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की समीक्षा बैठक दिनांक 25 अगस्त, 2017 में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नवत समय-सारणी निर्धारित की जाती है:-

क्र0	कार्यवाही	समयावधि
1	प्रथम चरण में अवशेष डाटा की आधार सीडिंग तथा भौतिक सत्यापन की कार्यवाही	29 अगस्त से 09 सितम्बर, 2017
2	प्रथम चरण में अवशेष डाटा की भू-लेख मैपिंग	29 अगस्त से 09 सितम्बर, 2017
3	दिनांक 29 अगस्त, 2017 से 09 सितम्बर, 2017 के मध्य मैप किए गए डाटा का राज्य स्तर पर वैलिडेशन चेक	10-12 सितम्बर, 2017
4	जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा सत्यापन पूर्ण कर अर्ह किसानों की सूची डिजिटली लॉक करना	13-19 सितम्बर, 2017
5	कृषि निदेशालय द्वारा धनराशि का बैंकों को हस्तान्तरण	19-21 सितम्बर, 2017

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6	बैंकों द्वारा ऋणी खाते में धनराशि हस्तान्तरण एवं उक्त विषयगत प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध कराना	22-24 सितम्बर, 2017
7	कैम्पों का आयोजन	24-27 सितम्बर, 2017

2. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि दिनांक 09 सितम्बर, 2017 से 11 सितम्बर, 2017 के मध्य आयोजित होने वाले कैम्पों हेतु जिलाधिकारियों द्वारा प्रभारी मंत्रीगणों के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा मा0 मंत्रीगण/मा0 सांसदगण/मा0 विधायकगण को भी आवश्यक रूप से आमंत्रित करते हुए उनकी सुविधानुसार तिथि निर्धारित की जाये।

3. कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या:60/2017/ 3218(1)/12-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, लखनऊ।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।